न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 14 / 2020

1 ईसाक पुत्र स्व. मुस्ताक उम्र 45 साल जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 59 शिवमंदिर सिनेमा के पास फतेहपुर रोड़ सीकर हाल आबाद नाना घर कसाईयों का मोहल्ला पठानों की कोठी के सामने बगड़ सलामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं राज. जरिये मुख्त्यार सब्बीर पुत्र फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी वार्ड नम्बर 58 मोहल्ला अम्बेडकर नगर सीकर तहसील व जिला सीकर राज.। मो. नं. 9636630422

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती खतीजा पत्नी स्व. सरवर
2 फारूक पुत्र स्व. सरवर
3 रबानी पुत्र स्व. सरवर
4 आरिफ
समस्त जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 59 डीएनबी होटल के सामने हनीफ किराणा स्टोर के पास फतेहपुर रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
5 रूकसाना पुत्री स्व. सरवर पत्नी गफार जाति मुसलमान निवासी राबिया बाग के पास भैरूपुरा रास्ता फतेहपुर रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
6 रूबीना पुत्री स्व. सरवर पत्नी मोहम्मद अली जाति मुसलमान निवासी भड़ बाजार कोर्ट गेट अनाज मण्डी कुचिलपुरा बीकानेर राज.।
7 सोना पुत्री स्व. सरवर पत्नी मेफूद भाटी जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 12 एजी खां रोड़ फतेहपुर जिला सीकर राज.।
8 नफीसा पुत्री स्व. सरवर पत्नी समसू जाति मुसलमान निवासी मक्का मस्जिद के पास सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
9 अनीसा पुत्री स्व. सरवर पत्नी नदीम जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 07 मक्का मस्जिद के पास फतेहपुर जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 बसरा पुत्री स्व. सरवर पत्नी नदीम जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 07 नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

11 गुलाब पुत्र श्री अब्दूल्ला नाई

12 छोटू पुत्र अब्दूल्ला नाई

13 असमत पत्नी स्व. झीना नाई

14 सरीफ पुत्र स्व. झीना नाई

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण इस्लामिया स्कूल के पास सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

15 लियाकत पुत्र स्व. अब्दूल्ला

16 आबिदा पत्नी स्व. हबीब

17 आबिद पुत्र स्व. हबीब

18 साजिद पुत्र स्व. हबीब

19 इरफान पुत्र स्व. हबीब

20 इमरान पुत्र स्व. हबीब

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण डीएनबी होटल के सामने फतेहपुर रोड सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

21 उप पंजीयक महोदय सीकर।

22 तहसीलदार महोदय, सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.12.2019 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, सीकर जो बउनवानी दावा संख्या 08/2010 बउनवानी ईशाक बनाम सरवर आदि में पारित किया गया अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री सादिक अली गौरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 30/3/26

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2010 में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवारा व खाता दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 402/1, 399/2 जिसके नये खसरा नम्बर 760, 762, 798, 799, 800 वाके ग्राम जगमालपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद अबैटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित संपूर्ण वाद को अबैट करते हुये खारिज कर दिया जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर डिले कन्डोन करवाने के लिये उचित कारण प्रस्तुत किया था जिसे विचारण न्यायालय ने अस्वीकार करते हुये संपूर्ण वाद को खारिज कर दिया जबकि पृथक से आवेदन आदेश 22 नियम 9 का कोई निस्तारण नहीं किया गया तथा प्रतिवादी के आवेदन आदेश 22 नियम 3 व 5 सीपीसी के आवेदन पर वाद का निस्तारण कर दिया गया जो आदेश खिलाफ कानून व प्रकिया है इस कारण विचाराधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं वरन निरस्त किये जाने योग्य है। वादी के अन्य स्थान पर रहने से एवं प्रतिवादीगण से सम्पर्क नहीं होने से उसे देरीना सूचना प्राप्त हुई और नियत समय पर प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु पर कायम मुकाम का आवेदन प्रस्तुत नही कर सका इस प्रकार समय पर उचित कारण कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने का सदभाविक कारण दर्शित करने के पश्चात भी विचारण न्यायालय ने कोई गौर न कर विचाराधीन आदेश पारित कर दिया जबकि हस्तगत वाद में अपीलान्ट के गंभीर दीवानी अधिकार निहित है इसके अतिरिक्त वादी अनपढ़ व कानून का जानकार न होने के कारण उक्त समय पर कायम मुकाम की कार्यवाही कर सकने में असमर्थ रहा जिसके संबंध में

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सारित कारित की जा सकती थी इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने संपूर्ण वाद को कानून के विपरित जाकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया जो विचाराधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं वरन निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय दिनांक 10.12.2019 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवारा व खाता दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 402/1, 399/2 जिसके नये खसरा नम्बर 760, 762, 798, 799, 800 वाके ग्राम जगमालपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद अबैटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रति. सं. 1 की मृत्यु दिनांक 28.09.2018 को हो चुकी थी लेकिन वादी की ओर से उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु नियत अवधि 90 दिन में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। आदेश 22 नियम 3 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार वाद के विचारण के दौरान पक्षकार के मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने के प्रावधान दिये हुए है। प्रतिवादी पक्ष की मृत्यु होने पर वादी को न्यायालय में जानकारी देकर उसके विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नियत अवधि में करनी चाहिए, जो 90 दिवस की है। प्रस्तुत मामले में यह स्वीकार्य है कि प्रतिवादी सरवर की मृत्यु 28.09.2018 को हुई थी तथा वादी की ओर से उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन 07.10.2019 को प्रस्तुत किया है यह आवेदन भी वादी के वाद अबैट करने के आवेदन के बाद में पेश किया है। इन्हीं पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय (एडीजे सीकर) में मामला लंबित है जिसमें इसी प्रतिवादी की मृत्यु का कायम मुकाम आवेदन 20.10.2018 को प्रस्तुत करने का अंकन है जबकि इस मामले में यह आवेदन मृत्यु के एक साल से अधिक समय बाद पेश किया है। वादी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन व शपथ पत्र में इस देरी का कोई सुसंगत व युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मामले में वादग्रस्त आराजी प्रति. सं. 1 रामेश्वर के नाम ही दर्ज रिकार्ड है अर्थात मुख्य सारवान पक्षकार है तथा इसके वारिसान को समय पर रिकार्ड पर नहीं लेने से विधि की दृष्टि से वादी का वाद अबेट हो चुका है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से उपशमन के आधार पर वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। दरम्यान बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत कर प्रकट किया कि विवादित भूमि संपरिवर्तित होकर नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज हो चुकी है। मौके पर आवासीय कॉलोनी विकसित होकर मकान निर्माण हो चुके है। आवासीय पट्टे जारी हो चुके है। ऐसी स्थिति में कृषि भूमि नहीं रहने के कारण प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं रहा है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवारा व खाता दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 402/1, 399/2 जिसके नये खसरा नम्बर 760, 762, 798, 799, 800 वाके ग्राम जगमालपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रति. सं. 1 की मृत्यु दिनांक 28.09.2018 को हो चुकी थी लेकिन वादी की ओर से उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु नियत अवधि 90 दिन में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। आदेश 22 नियम 3 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार वाद के विचारण के दौरान पक्षकार के मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने के प्रावधान दिये हुए है।

प्रतिवादी पक्ष की मृत्यु होने पर वादी को न्यायालय में जानकारी देकर उसके विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नियत अवधि में करनी चाहिए, जो 90 दिवस की है। प्रस्तुत मामले में यह स्वीकार्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है कि प्रतिवादी सरवर की मृत्यु 28.09.2018 को हुई थी तथा वादी की ओर से उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन 07.10.2019 को प्रस्तुत किया है यह आवेदन भी वादी के वाद अबैट करने के आवेदन के बाद में पेश किया है।

इन्हीं पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय (एडीजे सीकर) में मामला लंबित है जिसमें इसी प्रतिवादी की मृत्यु का कायम मुकाम आवेदन 20.10. 2018 को प्रस्तुत करने का अंकन है जबकि इस मामले में यह आवेदन मृत्यु के एक साल से अधिक समय बाद पेश किया है। वादी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन व शपथ पत्र में इस देरी का कोई सुसंगत व युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है।

प्रस्तुत मामले में वादग्रस्त आराजी प्रति. सं. 1 सरवर के नाम ही दर्ज रिकार्ड है अर्थात मुख्य सारवान पक्षकार है तथा इसके वारिसान को समय पर रिकार्ड पर नहीं लेने से विधि की दृष्टि से वादी का वाद अबैट हो चुका है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से उपशमन के आधार पर वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

वरवक्त वहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत कर प्रकट किया कि विवादित भूमि संपरिवर्तित होकर नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज हो चुकी है। मौके पर आवासीय कॉलोनी विकसित होकर मकान निर्माण हो चुके है। आवासीय पट्टे जारी हो चुके है। अपीलान्ट द्वारा इसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कृषि भूमि नहीं रहने के कारण प्रकरण राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं रहा है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 30/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर